कार्यालय–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–29
कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज
उत्तर प्रदेश जल निगम
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
1/51 विश्वासखण्ड गोमती नगर, लखनऊ
CONSTRUCTION & DESIGN SERVICES U.P. JAL NIGAM
Visit us at : www.cdsupjn.org
E-mail : cndsunit29@gmail.com

पत्र संख्या– 1814/जी०जी०आई०सी०/लखनऊ/06 दिनांक 18/10/2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के कार्यालय पत्रांक–नियोजन/10188–94/2025–26 दिनांक 19.09.2025 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद लखनऊ में जगत नारायण रोड स्थित शिक्षा भवन के कैम्पस में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के निर्माण कार्य उपलब्ध कराये गये कार्यस्थल पर पूर्व में निर्मित जर्जर असुरक्षित एंव अनुपयोगी भवनो के ध्वस्तीकरण हेतु सुरक्षात्मक दृष्टि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही खुली बोली के माध्यम से मलवे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि जो कि कालम (3) में इंगित है, के सापेक्ष नीलामी की जानी है। नीलामी दिनांक 30.10.2025 को अपरान्ह 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी एंव अधिकृत समिति के सदस्यों की उपस्थिति में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ जगत नारायण रोड स्थित शिक्षा भवन के कार्यालय प्रांगण में की जायेंगी।

क्र0 सं0	ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित भवनो का नाम	मलवे के निस्तारण से प्राप्त धनराशि	योग	नीलामी हेतु धरोहर धनराशि (10 प्रतिशत)	योग
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षक यूनियन भवन	85000.00	85000.00	8500.00	8500.00
2	ओल्ड डायरेक्टर आवास	9000.00	9000.00	900.00	900.00

नियम एवं भार्ते निम्नानुसार हैं:–

1. निष्प्रयोज्य भवन जंहा है, जैसे है के आधार पर नीलामी की जायेंगी।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोली कर्ता द्वारा धरोहर धनराशि उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कालम (6) के रूप में अलग–अलग कार्यो हेतु धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, यूनिट–29, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पद नाम से बंधक के रूप में जमा करना होगा। साथ ही बोली कर्ता द्वारा अपना जी०एस०टी० नम्बर, पैन नम्बर एंव आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी जमा करना होगा।
3. धरोहर धनराशि उच्चतम बोली बोलने वाले बोली कर्ता को छोडकर शेष बोलीकर्ता को वापस कर दी जायेगी।
4. उच्चतम बोली कर्ता को नीलामी में बोली की कुल धनराशि निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट–29 लखनऊ के खाता संख्या–208701000044883, आई0एफ0एस0 कोड IOBA0002087 इण्डियन ओवरसीज बैंक मुंशीपुलिया शाखा लखनऊ में जमा करना होगा।
5. नीलामी स्वीकृति के पश्चात् बोली की कुल धनराशि दो कार्य दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा।
6. बिन्दु 4 एंव 5 की शर्ते पूर्ण न करने पर धरोहर धनराशि शासन के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी।

A.E (H8)
G.M (Monitoring)
24.10.25

7. बोली कर्ता को नियमानुसार जी०एस०टी० अलग से जमा करना होगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को अपरिहार्य स्थिति में बोली की दिनांक/मात्रा में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को उच्चतम् बोली बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. नीलामी स्वीकृत होने तथा पूर्ण धन जमा करने के पश्चात् ही जर्जर भवनों को ध्वस्त करते हुए सामग्री को एक माह के अन्दर निर्माण स्थल से हटाकर स्थल को साफ–सुथरा करना पडेगा। सामाग्री का रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित बोली दाता की होगी। चूंकि उक्त स्थल पर ही जनपद लखनऊ में जगत नारायण रोड स्थित शिक्षा भवन के कैम्पस में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना है। यदि उक्त कार्य के पूर्ण न होने के कारण निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा आती है तो धनराशि रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अलग से देय होगा।
11. ध्वस्तीकरण के समय यदि कोई सामग्री/श्रमिक क्षति होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोली दाता की होगी, उसके लिए अधोहस्ताक्षरी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(संदीप कुमार)
परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :–तदैव।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने, उ0प्र0 जल निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने एवं प्रधान कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
2. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदया, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद लखनऊ को सूचनार्थ एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
6. महाप्रबन्धक (ई0डी0पी0 सेल), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को सी0एण्ड डी0एस0 की वेबसाईट पर अपलोड कराने, सी0एण्ड डी0एस0 की समस्त इकाईयों को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु उपलब्ध कराने एवं सी0एण्ड डी0एस0 मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
7. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनपद लखनऊ से सम्बन्धित समस्त कार्यदायी संस्थाओं को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु उपलब्ध कराने तथा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाइल में चस्पा हेतु।

परियोजना प्रबन्धक